

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 87/2018

दायर दिनांक:- 27.08.2019

जीसीएमएस नं. 2018/00236

उनवान

राजाराम पुत्र लट्टे जाति जाटव निवासी खेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जिला कलक्टर जिला करौली

—प्रतिवादीगण-02

दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 8-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 87/2018 राजाराम बनाम स्टेट अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली